

# घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। वे शनिवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की कार्यप्रणाली की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा है कि रेरा की कार्यप्रणाली पारदर्शी, सरल, जवाबदेह और तकनीक आधारित व डिजिटल हो। रियल एस्टेट सेक्टर में प्रमोटर्स-डेवलपर्स के लिए प्रक्रियाएँ सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक हो। मुख्यमंत्री ने रियल एस्टेट क्षेत्र में ईज ऑफ़ डुईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के



रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू घर खरीदारों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा है। घर खरीदारों से जुड़े मामलों और शिकायतों के निष्पादन में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। पारदर्शी और जवाबदेह नियामक व्यवस्था से घर खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश एवं कारोबार के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा। -सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री

साथ-साथ घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में अनावश्यक विलंब को समाप्त करते हुए प्रमोटर्स एवं डेवलपर्स को नियमानुसार कार्य करने में सहूलियत प्रदान की जाए। रेरा के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने रेरा की

संस्थागत व्यवस्था एवं कार्य पद्धति की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बताया कि रेरा की कार्य प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। बैठक में सीएम के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर सिंह, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, सचिव लोकेश सिंह, सचिव संजय कुमार सिंह उपस्थित थे।